न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 803—एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 19—2—13 पारित द्वारा तहसीलदार, श्योपुर जिला श्योपुर प्रकरण कमांक 13/12—13/अ—6.

नरेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रेम चंद जैन
निवासी श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

ओमप्रकाश मीना पुत्र श्री गोवर्धन मीना,
निवासी ग्राम कनवरसली तहसील एवं
जिला श्योपुर म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री रवि चौधरी, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री अंशु गुप्ता, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/15 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 13/12—13/अ—6 में पारित आदेश दिनांक 19.2.13 के विरूद्ध म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ओमप्रकाश द्वारा पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया गया । नामांतरण पर आवेदक नरेन्द्रकुमार द्वारा आपत्ति किए जाने पर पटवारी ने प्रकरण विवादग्रस्त होने से तहसीलदार को भेजा । तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आदेश 13 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण क 12/11—12/अ—6 निराकृत हुआ है अतः उक्त प्रकरण अभिलेखागार से तलब किया

प्रकरण में तहसील न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । आपत्तिकर्ता अभिलिखित भूमिस्वामी नहीं है और कब्जे के आधार पर उसे कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । उनकी आपत्ति पर यदि कोई साक्ष्य पेश करना चाहता है तो उसे स्वयं प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर पेश करनी चाहिए थीं । विचारण न्यायालय द्वारा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी औचित्यहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर